कार्यवृत्त

सोमवार, 11 बैशाख, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 01 मई, 2017)

खण्ड–48
अंक–1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने नियम–310 के अन्तर्गत खाद्य योजना के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को प्राथमिकता पर लिये जाने का अनुरोध किया। विपक्ष के अन्य मा0 सदस्य भी उक्त सूचना को लिये जाने का अनुरोध करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें, वे इस सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिए गये।

मा0 सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस बार सत्र के कार्यक्रम में असरकारी दिवस नही रखा गया है तथा मा0 अध्यक्ष नियम 25 (2) के अधीन असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये शुक्रवार के अतिरिक्त अन्य दिन भी नियत कर सकते हैं। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सरकार असरकारी सदस्यों के कार्य के प्रति गम्भीर है और जब भी शुक्रवार आयेगा, असरकारी कार्य लिया जायेगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में कार्य विन्यास के सम्बन्ध में निर्णय होता है, उसी के अनुसार असरकारी सदस्यों का भी कार्य लिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई है वे उनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे है।

निम्न मा0 सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया–

1.	श्री धन सिंह नेगी	टिहरी विधान सभा के अन्तर्गत लम्बे समय से उपयोग न किये जा रहे रानीचौरी पर्वतीय परिसर में कृषि विज्ञान, सब्जी विज्ञान, बीज विज्ञान विषयों को पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
2.	कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'	गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु अव्यवहारिक अर्हता रखने से पात्र अभ्यर्थी लाभ से वंचित रह जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार की तैनाती न किये जाने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में
4.	श्री देशराज कर्णवाल	दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति में भेदभाव किये जानेविषयक।
5.	काजी मौहम्मद निजामुद्दीन	जनपद हरिद्वार के रूड़की, मंगलौर तथा नारसन के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इन्जेक्शन न होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में।
6.	श्री सुरेश राठौर	उत्तराखण्ड में मनोरंजन कर विभाग, वाणिज्य कर विभाग में उपनल के माध्यम से सेवायोजित कर्मचारियों को समायोजित किये जाने विषयक।

7. श्री राम सिंह कैड़ा — विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा में गौला नदी व लधिया नदी में झूला पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में।

मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नियम–300 की सूचना के प्रस्तुतीकरण में बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्बन्ध में चर्चा करने का प्रयास किया गया है तो इसमें बाबा साहेब की मूर्तियां, जो खण्डित की गई है, के विषय में भी चर्चा होनी चाहिये। इस पर सदन में कई सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। विपक्ष के कई मा0 सदस्य 'वेल' में आ गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नही है।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि–

1. उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का प्रथम अधिनियम बन गया।
2. उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन), विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का द्वितीय अधिनियम बन गया।
3. श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का तृतीय अधिनियम बन गया।
4. क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

श्री गोपाल सिंह रावत ने ''जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम पंचायत हुर्री, क्यार्क, बार्सू, अगोड़ा, दंदालका आदि गांव की आपदा के खतरे के कारण सुरक्षा हेतु विस्थापन किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री विनोद नेगी ग्राम–हुर्री पो0 सुनगर, जनपद–उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ''जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के दयारा, गिडारा, जौराई, कुशकल्याण, बुग्यालों के शिविर गांवों में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सोबत सिंह राणा, ग्राम व पो0 रैथल, जनपद–उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ''जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पॉलिटैक्निक उत्तरकाशी को व्यवसायिक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री मनीष पयाल, निवासी बगसारी पोस्ट पिपली, डुंडा, जनपद–उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की।

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना द्वारा उपनल के कार्मिकों को सेवा से हटाये जाने एवं विभागीय संविदा पर नियुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में सदन की अवमानना सम्बन्धी विषय उठाया गया। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि यह विषय आश्वासन समिति के अन्तर्गत विचाराधीन है। अतः नियमानुसार सदन में इस विषय को नही उठाया जाना चाहिये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि विषय

नियम–67 के अन्तर्गत ग्राह्यता की शर्ते पूर्ण नहीं करता तथा प्रकरण आश्वासन समिति के विचाराधीन है। अतः सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि जॉर्ज आईवान ग्रेगरी मैन, जिन्हें मा0 राज्यपाल द्वारा एंग्लो इण्डियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में इस सदन का सदस्य नाम निर्दिष्ट किया गया है, आज सदन में उपस्थित हैं। सदन की ओर से वे उनका स्वागत करते है और अपेक्षा है कि वह एंग्लो इण्डियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 29 अप्रैल, 2017 की बैठक में दिनांक 01 मई, 2017 से 02 मई, 2017 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मई, 2017

01 (सोमवार)	**विधायी कार्यः–** उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 के विचार एवं पारण । **(15 मिनट)**
02 (मंगलवार)	विधायी कार्य।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिये राज्य में उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। संस्कृत की ऐतिहासिक विशिष्टताओं एवं भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में इसके स्थान को देखते हुए इसके संवर्द्धन, प्रोत्साहन, प्रसार एवं अधिकाधिक प्रयोग के लिये एक सम्यक् नीति एवं दिशा निर्धारण की नितान्त आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नीति निर्देशक एवं मार्ग दर्शक व्यवस्था स्थापित करने, सुसंगत विकासोन्मुखी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिये नीतिगत निर्णयों के कियान्वयन एवं वर्तमान व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण के लिये विधान सभा की संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपर्वर्णित उद्देश्यों के लिये प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम–निदेशित 7 से अनधिक सदस्यों की 'संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति' का गठन किया जाय।

यह भी प्रस्ताव है कि इस समिति के गठन एवं इसके सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किया जाय।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत गेंहू, चावल आदि खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न कठिनाई सम्बन्धी नियम–310 की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर प्रस्तुत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री करन माहरा, काजी मौहम्मद निजामुद्दीन एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण से संतुष्ट न होने

पर नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विगत दिनों हुई भारी ओलावृष्टि से हुई जानमाल की हानि के सम्बन्ध में सूचना पर मा0 सदस्य श्री हरीश धामी ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में सहायता प्राप्त पं0 पूर्णानन्द तिवारी, इण्टर कालेज में अनुचित प्रकार से अभिवाहकों से लिये जा रहे फण्ड के सम्बन्ध में सूचना पर मा0 सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

धनौल्टी क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों के आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना पर श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 07 सूचनायें प्राप्त हुई है। इनमें से

''विधान सभा क्षेत्र सल्ट के मानिला में पर्यटन सुविधाओं का विकास न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा

''बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जेठाई व आठ अन्य गांवों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में'' श्री चन्दन राम दास की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 01:00 बजे मंगलवार, दिनांक 02 मई, 2017 तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।